

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।
 क्रमांक : राजपत्रित/एटि/प035/2018/268 दिनांक 09/06/2018

-: आदेश :-

शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प. 1(1)/चिस्वा/2/2014पार्ट दिनांक 09.11.2017 के अनुसरण में राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम-1963 के नियम 26 में उपलब्ध प्रावधान के अर्न्तगत वॉक -इन्टरव्यू द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर आवश्यक तदर्थ आधार (Uraent Temporary Basis) पर चयन निम्नलिखित अभ्यार्थी का अनुमोदन एतद द्वारा किया जाता है:-

क्र. सं.	जिला	चिकित्सक का नाम व पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	वर्ग	लिंग	पदस्थापन स्थान
1	श्रीगंगानगर	डॉ० सारस्वत स्वाति/श्री राजेश सारस्वत	04.01.88		महिला	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, श्रीगंगानगर
2	बांरा	डॉ० आशीष कुमार गुप्ता			पुरुष	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांरा
3		डॉ० हनीफ खान			पुरुष	
4	चूरु	डॉ० हिम्मता राम जाट/श्री दीपाराम जाट			पुरुष	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चूरु
5	दौसा	डॉ० नेहा कटेवा	17.01.66		महिला	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, दौसा
6		डॉ० सिविया संदीप कौर	24.08.89		महिला	

शेष शर्तें शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक पं.1(1)चिस्वा/ग्रुप-2/2014 दिनांक 04/10/14 के अनुसार रहेगी।

नोट : मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, संबंधित को लेख है कि अभ्यार्थी के कार्यग्रहण के समय अनिवार्य रूप से डिग्री, आरएमसी का रजिस्ट्रेशन व अन्य प्रमाण पत्र की जांच करें तथा उपरोक्त अनुमोदन में जिन अभ्यार्थियों के प्रोवीजनल रजिस्ट्रेशन व चिकित्सा अधिकारी (दन्त) है तो उनको कार्यग्रहण नहीं करवें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
 राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर, संबंधित।
4. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-संबंधित।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, संबंधित।
7. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।